

प्रेषक,

दिव्यकान्त शुक्ल,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-२, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग


मेरठ दिनांक : १६ -०२-२०१८

विषय :- मेरठ पब्लिक स्कूल, पी०एस०-२, सैकटर-१, वेदव्यासपुरी, मेरठ को
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया
जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—१९१६ / १५-७-७(२९९) / २००७ दिनांक
१४-०७-२००९ द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक २४-०१-२०१८ में लिये गये
निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय
लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान
तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय
माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये
जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी
बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित
शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (5) फीस उन्हीं मदों में चार्ज किया जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की
दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों
में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न
चार्ज किया जाय।
- (6) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी
आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के
बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित
एक सदस्य होगा।
- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि
पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की



सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फॉर डि इण्डिन स्कूल सर्टिफिकेट एकजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

- (11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।
(12) विद्यालय भवन के भूमिगत परिसर (Underground) में कोई शिक्षण गतिविधियां संचालित न की जायें।
(13) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
(14) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, निम्न दो (02) प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा:-

- 1- संस्था को संचालित करने वाली मातृ संस्था/सोसाइटी (मेरठ पब्लिक शिक्षा प्रसार समिति, मेरठ कैण्ट, वेरस्ट एण्ड रोड, मेरठ कैण्ट) जौकि निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, (न्यू मोहनपुरी), मेरठ मण्डल, मेरठ कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-2392 / 1982-83 दिनांक 05-02-1983 को पंजीकृत है तथा दिनांक 05-02-2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया है, जिसके द्वारा सी०बी०ए०इ० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु कतिपय विभागीय प्रतिबन्धों का समावेश सोसाइटी में किया गया है, के सत्यापन के अधीन रहेगा।
2- संस्था प्रबन्धक द्वारा मण्डल कार्यालय में शपथ पत्र दिनांक 13-02-2018 प्रस्तुत किया गया है। संस्था प्रबन्धक द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से विद्यालय भवन का कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर दो (02) माह के भीतर मण्डल कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा। अन्यथा कि स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

भवदीय

(दिव्यकान्त शुक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या- 11869 / मं०स० (197) / 2017 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, मेरठ।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
(6) प्रबन्धक, मेरठ पब्लिक स्कूल, पी०ए०स०-२, सैकटर-१, वेदव्या सपुरी, मेरठ।

(दिव्यकान्त शुक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

13/2/18